न्यायालयः विशेष न्यायाधीश, एन०डी०पी०एस०एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 14, गाजियाबाद।

उपस्थितःअर्चना, (उच्चतर न्यायिक सेवा)।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–6757/2020

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–7072/2020

(CNR No: UPGZ010221182020)

शिवम शर्मा.....बनाम.....राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–1451/2020
धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट
थाना–साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

.....

07.01.2021

प्रार्थी/अभियुक्त शिवम शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी–म०नं०–ई–124, लाजपतनगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 1451/2020 धारा–8/21 एन डी पी एस एक्ट थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सियाराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा यह कथन किया गया है कि वह अभियुक्त का पिता व पैरोकार है तथा यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय व अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसे थाना साहिबाबाद की पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कथित माल 375 एल्प्राजोलम टेबलेट आईपी 0.5 एम०जी० बरामदगी के सम्बंध में अभियोजन पक्ष के पास जनता का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से जो बरामदगी दिखायी गयी है, वह सरासर झूठी व फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03–12–2020 को अपने दादा–दादी के घर सीमापुरी दिल्ली जाने के लिए टैम्पू के इंतजार में सड़क पर खड़ा था, तभी एक पुलिस की जीप गलत साईड से आई और प्रार्थी/अभियुक्त को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त सड़क पर गिर गया तथा जब अभियुक्त ने पुलिस वालों से टक्कर मारकर गिराने की बाबत कहा तो पुलिस वाले उसके साथ गाली गलोच कर दुर्व्यवहार करन लगे तथा थाने ले गए और छोड़ने की एवज में दस हजार रू० की मांग की। रूपए न देने पर उक्त केस में झूठा फंसाकर जेल भेज दिया। अभियुक्त से जो कथित नशीली गोलियों की बरामदगी दिखायी गयी है, उक्त गोलियों का वजन करने का जो तरीका पुलिस द्वारा बताया गया है, वह सरासर गलत है। अभियुक्त की जामा तलाशी लेते व गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के प्राविधानों का नियमानुसार पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04–12–2020 से अभिरक्षा में है। वह न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अवैध नशीली एल्प्राजोलम की 375 गोलियाँ रेपर में बरामद हुई हैं, जिसके रेपर पर एल्प्राजोलम टेबलेट आई पी 0.5mg जिनका कुल वजन 37.5 ग्राम है, बरामद हुई हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 04–12–2020 को उपनिरीक्षक नगेन्द्र सिंह अत्री मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ थाना हाजा से रपट नं०–54 समय 08.30 बजे रवाना होकर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन में चौकी क्षेत्र शनि चौक में मामूर थे कि जब गश्त करते हुए गोल पार्क के सामने राजेन्द्र क्लब के निकट पहुंचा तो एक व्यक्ति सड़क पर संदिग्ध खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस वालों को देखकर घबराकर वहां से तेज कदमों से भागने लगा। शक होने पर पुलिस वालों ने एकबारगी दबिश देकर घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति द्वारा बताया कि साहब मेरे पास नशीली गोलियां एल्प्राजोलम हैं, पकड़े जाने के डर से भागने लगा। नशीली गोलियां होना बताए जाने पर मुझ एस०आई० द्वारा उस व्यक्ति को कहा गया कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते हो तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप ही मेरी तलाशी ले लो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराकर पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शिवम शर्मा बताया जिसकी जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक पालीथीन में नशीली एल्प्राजोलम की 375 गोलियां रेपर में बरामद हुई, जिसेक रेपर पर एल्प्राजोलम टेबलेट आई पी 0.5mg लिखा है। रेपर से प्राप्त गोलियों में से एक गोली निकालकर विवेचना किट में मौजूद इलेक्ट्रानिक तराजू से एक गोली का वजन करने पर एक गोली का वजन 0.10 ग्राम है। इस प्रकार कुल 375 गोलियों का वजन 37.5 ग्राम है। वास्ते नमूनी 15 गोलियां एक सफेद कागज में रखकर सील सर्वेमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा शेष 360 गोलियों को उसी पालीथीन में रखकर सील सर्वेमुहर किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं ली गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त प्रकरण में दि0 04.12.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद नशीला पदार्थ न्यूनतम मात्रा से अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अतः केस के तथ्यों व परिस्थितियों में मामले के गुण दोष के सम्बन्ध में बिना कोई टिप्पणी किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शिवम शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अकंन 60,000/– रूपये का निजी बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(अर्चना)
विशेष न्यायाधीश, एन०डी०पी०एस०एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 14,
गाजियाबाद।
J.O.ID–UP 6362
07–01–2021

Digitally signed by Archana
Date: 2021.01.07 16:11:15 UTC
Reason: Document Owner
Location: ADJ Court no 14